राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 01.05.2018

परिपत्र–25

विषयः – परिवारों/व्यक्तियों के भामाशाह नामांकन/कार्ड निरस्त करने बाबत।

कतिपय अपात्र परिवारों/व्यक्तियों (जैसे–विदेशी नागरिक, राजस्थान का निवासी न हो, इत्यादि) द्वारा छलपूर्ण प्रलेख (Fake document) प्रस्तुत कर यदि भामाशाह नामांकन करवा लिया है/भामाशाह कार्ड प्राप्त कर लिया है अथवा किन्हीं अन्य वैध कारणों यथा–व्यक्ति/परिवार की मृत्यु, एकल व्यक्ति परिवार की शादी, दो परिवारों का विलय (merge), इत्यादि से भामाशाह नामांकन/कार्ड निरस्त किया जाना हो तो, ऐसे भामाशाह नामांकन/कार्ड को स्थायी रूप से निरस्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार सुनिश्चित की जाए :–

1. व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलेखों की स्थानीय उपखण्ड अधिकारी(ब्लॉक भामाशाह प्रबंधक) द्वारा पूर्ण जांच कर, कारणों सहित स्पष्ट जांच रिपोर्ट मय ऐसे भामाशाह नामांकन/कार्ड को स्थायी रूप से निरस्त करने की अनुशंषा जिला कलेक्टर(जिला भामाशाह प्रबंधक) को प्रेषित की जाएगी।
2. प्राप्त अनुशंषा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाकर, जिला कलेक्टर द्वारा भामाशाह प्लेटफार्म पर स्वयं के Login ID and Password से नामांकन स्थायी रूप से निरस्त किया जा सकेगा।
3. भामाशाह प्लेटफार्म पर स्थायी रूप से नामांकन निरस्त करने से संबंधित दस्तावेजों को संक्षिप्त विवरण (Remarks) सहित अपलोड़ किया जाएगा।
4. जिला कलेक्टर द्वारा निरस्त किए गए नामांकन के निर्णय के विरूद्ध संबंधित व्यक्ति द्वारा दस्तावेजों के आधार पर पुनःविचार (review) हेतु जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्रस्तुत आवेदन पर प्रार्थी के पक्ष में निर्णय की स्थिति में संबंधित जिला कलेक्टर स्वंय के Login ID and Password से भामाशाह पहचान संख्या को सक्रिय (Active) करेगा।
5. राजकॉम्प द्वारा ऐसे नामांकन डाटा व निरस्तीकरण के दस्तावेजों को Database में सुरक्षित रखते हुए **''स्थायी निरस्त''** कर दिया जाएगा। व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सूचना Database में रहेगी ताकि पुनः इन दस्तावेजों के आधार पर भामाशाह नामांकन नहीं करवाया जा सके तथा भामाशाह एप्लीकेशन पर ऐसे नामांकन स्थायी निरस्त के रूप में प्रदर्शित होते रहेंगे।
6. उक्त प्रक्रिया में Deemed verification नहीं होगा।

7. छलपूर्ण दस्तावेज के आधार पर निरस्त भामाशाह कार्ड के प्रकरण में संबंधित विभागों को online सूचित किया जाएगा, जिससे विभागों द्वारा वित्तीय क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जा सके। जबकि वैध कारणों से भामाशाह नामांकन/कार्ड निरस्त करने की स्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं है।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव,
आयोजना व सू.प्रौ.एवं संचार विभाग

कमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 01.05.2018

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. समस्त अति.मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
4. जिला कलेक्टर समस्त, राजस्थान।
5. निदेशक तकनिकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, तिलक मार्ग, जयपुर।
6. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जिला..........
7. सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला.............
8. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव